

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक— 09/ निधि—स्कीम (Special Assistance 2026-27)—02—13 / 2026

पटना, दिनांक—

प्रेषक,

अंजनी कुमार,
मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल, पूर्णिया।

विषय :— SASCI, Part-I, 2026-27 के तहत निकासी सीमा के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक— 1799 दिनांक—12.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में SASCI 2026-27 Part-I के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की निकासी सीमा इस प्रकार दी जाती है :—

(राशि करोड़ में)

क्र० सं०	स्वीकृत योजना का नाम	अधिकतम निकासी सीमा / SASCI 2026- 27 Part-I द्वारा स्वीकृत राशि	पूर्व की निकासी सीमा	निकासी सीमा में बढ़ोत्तरी	निकासी सीमा में कमी	अद्यतन निकासी सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1	Widenning and strenghting work Dhamdaha-Banmankhi Road for the year 2024-25	5.00	0.00	3.30	0.00	3.30

कृपया सुनिश्चित करें :—

- पत्र के निर्गत तिथि से 15 दिनों के अन्दर राशि का भुगतान अवश्य करें।
- राशि का भुगतान वित्त विभाग तथा विभागीय नियम एवं शर्तों के अनुसार तथा संवेदक द्वारा कराये गये कार्यों से संतुष्ट होने के उपरांत ही करें।
यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
- उपयोगिता प्रमाण—पत्र माह के अन्त में अवश्य जमा करें।
- आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार PFMS के माध्यम से किया जायेगा।
- राशि निकासी की सीमा से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। राशि निकासी की सीमा से अधिक व्यय के लिए आप पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(अंजनी कुमार)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



P.T.O

पत्रांक- 09/ निधि-स्कीम (Special Assistance 2026-27)-02-13 / 2026

6431(E)

पटना, दिनांक- 11/9/2026

प्रतिलिपि :- Regional Head, ICICI Bank Ltd, Boring Road Branch, Patna / आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अंजनी कुमार
11/09/26

(अंजनी कुमार)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

8/